

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प सिन्धीपुरा  
दिनांक : 14.10.2021

क्रमांक : राजस्व/प्र.मा.सं.अ./2021/166

गुठन 485/21

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिन्धीपुरा व भू.अ.नि.पीपाड़ शहरकी रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 620, 615 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिन्धीपुरा	620,	465, 511, 468	अकबर खां पुत्र मेहमद खां, सफी मोहम्मद खां पुत्र मोहम्मद खां	अकबर खां पुत्र मेहमुद खां सफरू खां पुत्र मेहमुद खां
		615	470	अकबर खां पुत्र मेहमद खां, सफी मोहम्मद खां पुत्र मोहम्मद खां	अकबर खां पुत्र मेहमुद खां सफरू खां पुत्र मेहमुद खां

(दुदासम)

पीठासीन अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर  
दिनांक :- 14.10.2021

क्रमांक :-सम/2021/167-169  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी सिन्धीपुरा को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी अकबर खां पुत्र मेहमुद खां जाति सिन्धी निवासी सिन्धीपुरा को सूचनार्थ।

(दुदासम)

पीठासीन अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर